न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 41/2016 जिला दौसा

रामजी लाल पुत्र गणपत लाल, जाति ब्राह्मण, निवासी खण्डेवल, तहसील लवाण, जिला दौसा ।

अपीलान्ट

बनाम

1. लल्लू प्रसाद पुत्र राधेश्याम
2. सुरेश पुत्र राधेश्याम
   जाति ब्राह्मण, निवासी खण्डेवल, तहसील लवाण, जिला दौसा ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा जिला कलेक्टर दौसा दिनांक 18.1.2016

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री उमेश गौड
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री अशोक कुमार जोशी

निर्णय

दिनांक– 21.8.2018

यह द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 18.1.2016 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्राम खण्डेवल स्थित आराजी खसरा नम्बर 67/4 रकबा 1 बीघा बारानी एवं खसरा नम्बर 67/5 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा बारानी 2 कुल भूमि 5 बीघा 2 बिस्वा का विक्रय जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 9 जुलाई, 1982 को विक्रेता लल्लू प्रसाद, सुरेश पि. राधेश्याम ब्राह्मण द्वारा क्रेता रामजी लाल पुत्र गणपत लाल ब्राह्मण को किया गया । विवादित भूमि के क्रेता रामजी लाल द्वारा सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी दौसा को एक प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती इन्द्राज गत खसरा नम्बर 67/4– 67/5 पेश किया जिस पर सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी दौसा ने आदेश दिनांक 24.1.1985 को पारित किया कि आराजी गत खसरा नम्बर 67/4, 68/5 से हाल खसरा नम्बर 202 बना है, जो विक्रेता लल्लू प्रसाद व सुरेश पि. राधेश्याम के नाम दर्ज है । मुताबिक विक्रय पत्र हाल खसरा नम्बर 202 में विक्रेतागण का नाम खारिज कर क्रेतागण का नाम दर्ज किया जावे ।

सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी दौसा के उक्त आदेश दिनांक 24.1.85 से व्यथित होकर विवादित भूमि के विक्रेता लल्लू प्रसाद व सुरेश द्वारा अपील न्यायालय जिला कलक्टर दौसा को मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 2.12.2014 को प्रस्तुत की । अपीलाधीन आदेश दिनाक 18.1.2016 द्वारा मियाद के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर गुणावगुण पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी कैम्प दौसा द्वारा मिसल संख्या 10/85 व पर्चा नं. 33/1 पर पारित आदेश दिनांक 24.1.85 खारिज किया गया तथा तहसीलदार दौसा को

प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये गये कि उभयपक्षों को सुनवाई एवं सबूत का समुचित अवसर प्रदान करते हुये पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें ।

जिला कलक्टर दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 18.1.1016 से विवादित भूमि के क्रेता रामजी लाल द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी दौसा के निर्णय दिनांक 24.1.85 के खिलाफ 30 साल बाद अपील रेस्पोंडेन्ट्स द्वारा प्रस्तुत की थी । अधीनस्थ न्यायालय ने निराशाजनक रूप से विलम्बित अपील को समय सीमा में मानकर गुणावगुण पर अपील स्वीकार करने में विधिक त्रुटि की है । उनका कहना था कि विलम्ब का कोई संतोषजनक कारण भी नहीं था तथा प्रार्थना पत्र शपथ पत्र से समर्थित था । उनका कहना था कि रेस्पोंडेन्ट्स द्वारा आराजी खसरा नम्बर 67/4, 67/5 अपीलान्ट को विक्रय की थी । सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी के आदेश में आराजी खसरा नम्बर 67/4, 68/5 को खसरा नम्बर 202 में शामिल कर खातेदारी अंकन करने के आदेश दिये थे । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय से प्रकरण तहसीलदार दौसा को रिमाण्ड किया है जबकि आराजी वर्णित निर्णय व पक्षकारान तहसील लवाण के निवासी है । अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार दौसा को पक्षकार बनाकर अपील पेश की थी । तहसीलदार लवाण को पक्षकार नहीं बना कर निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है । उनका कहना था कि विवादित आराजी पर दिनांक 13.7.82 से अपीलान्ट्स का कब्जा काश्त चला आ रहा है । प्रश्नगत निर्णय से 30 सालों बाद पुनर्विवाद की स्थिति हो गई है । उनका कहना था कि मियाद का बिन्दु भी विधि का महत्वपूर्ण बिन्दु है । विभिन्न न्यायालयों ने अपने अनेकों निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि यदि विलम्ब के संबंध में दिन प्रतिदिन का कारण उचित प्रतीत होने की स्थिति में ही विलम्ब को क्षमा किया जाना चाहिये अन्यथा सर्वप्रथम अपील को मियाद के बिन्दु पर ही खारिज कर देना चाहिये । अधीनस्थ न्यायालय ने 30 सालों की निराशाजनक विलम्बित अपील में बिना किसी उचित कारण के विलम्ब को क्षमा कर अपील का निस्तारण गुणावगुण पर किया है, जो विधिसम्यक नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर दौसा दिनांक 18.1.16 निरस्त किया जावे ।

रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम खण्डेवल, तहसील दौसा की आराजी खसरा नम्बर 67/4 रकबा 1 बीघा, 67/5 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा रेस्पोंडेन्ट्स की खातेदारी की भूमि थी तथा उनके कब्जे काश्त में थी । रेस्पोंडेन्ट्स ने उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 9.7.82 को अपीलान्ट को विक्रय करदी थी । भू प्रबन्ध विभाग ने उक्त आराजी के गत खसरा नम्बर 67/4 रकबा 1 बीघा, 67/5 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 202 बनाये जाकर रकबा 1.63 हैक्टेयर अपीलान्ट के नाम खातेदारी दर्ज करदी गई, जो त्रुटिपूर्ण एवं विधि विरूद्ध है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के विधिक तथ्यों एवं गुणावगुण को देखते

हुये विलम्ब को क्षमा कर गुणावगुण पर निर्णय पारित करना उचित मानते हुये अपीलाधीन आदेश दिनाक 18.1.2016 द्वारा मियाद के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी कैम्प दौसा द्वारा मिसल संख्या 10/85 व पर्चा नं. 33/1 पर पारित आदेश दिनांक 24.1.85 खारिज किया गया तथा तहसीलदार दौसा को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये गये कि उभयपक्षों को सुनवाई एवं सबूत का समुचित अवसर प्रदान करते हुये पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें । उनका कहना था कि प्रकरण तहसीलदार के स्तर पर उभयक्षों की सुनवाई होने के बाद ही निर्णय होना है । अपीलान्ट अपने पक्ष –समर्थन में साक्ष्य एवं सबूत तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं । ऐसी स्थिति में इस द्वितीय अपील का कोई विधिक औचित्य प्रतीत नहीं होता । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवाद ग्रम खण्डेवल स्थित आराजी खसरा नम्बर 67/4 रकबा 1 बीघा बारानी 2 एवं खसरा नम्बर 67/5 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा बारानी 2 कुल भूमि 5 बीघा 2 बिस्वा का विक्रय जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 9 जुलाई, 1982 को विक्रेता रेस्पोंडेन्ट्स लल्लू प्रसाद, सुरेश पि. राधेश्याम ब्राह्मण द्वारा क्रेता अपीलान्ट रामजी लाल पुत्र गणपत लाल ब्राह्मण को किया गया । विवादित भूमि के क्रेता अपीलान्ट रामजी लाल द्वारा सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी दौसा को एक प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती इन्द्राज गत खसरा नम्बर 67/4–67/5 पेश किया जिस पर सहायक भू प्रंबन्ध अधिकारी दौसा ने आदेश दिनांक 24.1.1985 को पारित किया कि आराजी गत खसरा नम्बर 67/4, 68/5 से खसरा नम्बर हाल 202 बना है, जो विक्रेता रेस्पोंडेन्ट्स लल्लू प्रसाद व सुरेश पि. राधेश्याम के नाम दर्ज है । मुताबिक विक्रय पत्र हाल नम्बर 202 में विक्रेतागण का नाम खारिज कर क्रेतागण का नाम दर्ज किया जावे ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी दौसा के उक्त आदेश दिनांक 24.1.85 से व्यथित होकर विवादित भूमि के विक्रेता लल्लू प्रसाद व सुरेश की अपील अपीलाधीन आदेश दिनाक 18.1.2016 द्वारा मियाद के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर गुणावगुण पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी कैम्प दौसा द्वारा मिसल संख्या 10/85 व पर्चा नं. 33/1 पर पारित आदेश दिनांक 24.1.85 खारिज किया गया तथा तहसीलदार दौसा को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये गये कि उभयपक्षों को सुनवाई एवं सबूत का समुचित अवसर प्रदान करते हुये पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें ।

उपरोक्त तथ्यो के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि रेस्पोंडेन्ट्स ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 9.7.82 से आराजी खसरा नम्बर 67/4, 67/5 अपीलान्ट को विक्रय की थी । सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी दौसा ने आदेश दिनांक 24.1.1985 से उक्त आराजी के गत खसरा नम्बर 67/4 रकबा 1 बीघा, 67/5 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 202 बनाये जाकर रकबा 1.63 हैक्टेयर अपीलान्ट के नाम खातेदारी दर्ज करदी गई, जिसके खिलाफ रेस्पोंडेन्ट की अपील पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.1.2016 पारित कर मियाद के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर गुणावगुण पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की गई एवं सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी कैम्प

दौसा का आदेश दिनांक 24.1.85 खारिज किया गया तथा प्रकरण उभयपक्षों को सुनवाई एवं सबूत का समुचित अवसर प्रदान करते हुये पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु तहसीलदार दौसा को प्रतिप्रेषित किया है , जिसमें हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं तथा अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक को 21.8.2018 को सुनाया गया ।

चित्रा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर